न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **363/2022** दायर दिनाँक **23.08.2022**

वादी		प्रतिवादी
1. भंवरलाल चौयल पुत्र खेताराम उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी कठौती, तहसील जायल जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा बाठड़ी पटवार हल्का बिंचावा, भू–अभिलेख नि0 केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके नये खसरा सं0 418 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा व 419 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा बने है, जिनके पुराने खसरा सं0 200 है। जो तथ्य सम्वत् 2073 से 2076 की जमाबन्दी व राजस्थान सरकार कार्यालय तहसीलदार डीडवाना से जारी सनद दिनांक 01.08.1988 में स्पष्ट है। नकल जमाबन्दी व खसरा मिलान, खसरा गिरदावरी व सनद पेश है व चालु जमाबन्दी पेश है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में से खसरा सं0 418 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा व 419 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी के पिता खेताराम की रही है। तथा वादी के खेत खसरा सं0 418 के पश्चिम में खेत खसरा सं0 417 आया हुआ है तथा वादी के खेत खसरा सं0 419 के पूर्व दिशा में खेत खसरा सं0 420 आया हुआ है तथा उपरोक्त चारो खसरा नम्बरान की भूमि के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क आई हुई है। तथा मौके पर नजरी नक्शा अनुसार ही चारो खसरा नम्बर स्थित है। वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त बंट के अनुसार वादी का ही है तथा वर्तमान में वादी नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी डी पर काबिज काश्त चला आ रहा है, नजरी नक्शा वाद का अभिन्न भाग है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व [illegible] भूमियो पर वादी के पिता खेताराम तथा अब वादी की भौतिक व कब्जा काश्त [illegible] ही रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादी [illegible] गिरदावरी की प्रति पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से सम्वत् 2073–2076 में काश्तकार राजस्थान सरकार के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी। जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरिक्षण नही करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को राजस्थान सरकार दर्ज कर दिया गया है, जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में वादी का उक्त खसरा नम्बर 418 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा व खसरा सं0 419 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा की भूमि पर काबिज काश्त है। वादी के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त ही नही था और न ही वर्तमान में हैतथा साथ वादी के उपरोक्त दोनो खसरा सं0 418 व 419 के राजस्व रेकर्ड के नक्शा को भी राजस्व कर्मचारियों ने भूल वश गलत तरमीम कर दिया, जबकि मौके पर वादी के उपरोक्त दोनो खसरा 418, 419 नजरी नक्शा में वर्णितानुसार मौके पर काबिज है तथा नजरी नक्शा अनुसार ही वादी अपने उक्त दोनो खसरा नम्बर की भूमि को राजस्व नक्शा में तरमीम करवाना चाहता है। उक्त भूमि पर राजस्थान सरकार का या अन्य किसी का कोई अधिकार एवं कब्जा काश्त नही है तथा वादी व उसके परविारजन कभी भी भारत छोड़कर पाकिस्तान नही गये, पुराने रेकर्ड में राजस्थान सरकार गलत रूप से दर्ज हुआ था, जो राजस्व कर्मचारियों के गलत अंकन तथा गलत राजस्व नक्शा तरमीम होने के कारण दर्ज हो गया, जिसे वादी शुद्धिकरण करवाकर पुरानी कदीमी समय से वादी के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में राजस्थान सरकार दर्ज होने के कारण समय–समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा एलानियां धमकियां देते है तथा साथ ही राजस्व नक्शा गलत तरमीम होन के कारण वादी के पाड़ौसी भी वादी को उसकी पैत्रिक कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते है तथा उसके अधिकारो व हितो को चुनौति देने लगे हुये है तथा येन–केन प्रकारेण वादी की पैत्रिक कृषि भूमि से मरहुम रखना चाहते है। जिस हेतु यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार हैः–

यह है कि मौजा बांठड़ी पटवार हल्का बिंचावा, भू–अभिलेख नि0 केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा 418 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा व 419 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 लाटा जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है तथा वादी के खेत खसरा सं0 418 के पश्चिम में खेत खसरा सं0 417 तथा वादी के खेत खसरा सं0 419 के पूर्व दिशा में खेत खसरा सं0 420 आये हुये तथा इन चारो खसरा नम्बरान की भूमि के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क अवस्थित है तथा राजस्व रेकर्ड के नक्शा में वादी के उपरोक्त खसरा नम्बर 417, 418, 419 व 420 गलत तरमीम किये हुये जबकि मौके पर नजरी नक्शा अनुसार अवस्थित है तथा नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी डी भाग पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है, उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को [illegible] में वर्णितनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारी व राजस्व नक्शा वादी [illegible] की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। डीडवना की रिपोट प्राप्त हुई। जिसे सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त खसरा सं0 418 व 419 को वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खसरा सं0 417 व 420 के मध्य वर्तमान नक्शा के सीन पर वरिवर्तन कर मार्क ए बी सी डी के अनुरूप अंकित कर दुरूस्त करने व राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम किश्म गै0 मु0 लाटा के स्थान पर गै0 मु0 बाड़ा दर्ज करने की हकदारी वादी के वाद अनुसार सही है। मौका पर वादी का कब्जा इसी अनुसार है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा बाठड़ी पटवार हल्का बिंचावा, भू—अभिलेख नि0 केराप तहसील डीडवाना के खसरा सं0 417, 418, 419 व खसरा सं0 420 में वर्तमान भू– प्रबन्ध के नक्शे के स्थान पर पटवारी की मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार नक्शे में संशोधन कर खसरा 418 रकबा 0.0200 हैक्टे0, 419 रकबा 0.0200 हैक्टे0 की किश्म गै0 मु0 लााटा के स्थान पर गै0 मु0 बाड़ा दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर (डीडवाना)

निर्णय आज दिनाँक **19.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (डीडवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 363/2022 दायर दिनाँक 23.08.2022

वादी		प्रतिवादी
1. भंवरलाल चौयल पुत्र खेताराम उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी कठौती, तहसील जायल जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 19.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा बाठड़ी पटवार हल्का बिंचावा, भू–अभिलेख नि0 केराप तहसील डीडवाना के खसरा सं0 417, 418, 419 व खसरा सं0 420 में वर्तमान भू– प्रबन्ध के नक्शे के स्थान पर पटवारी की मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार नक्शे में संशोधन कर खसरा 418 रकबा 0.0200 हैक्टे0, 419 रकबा 0.0200 हैक्टे0 की किश्म गै0 मु0 लााटा के स्थान पर गै0 मु0 बाड़ा दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–................ बाबत......................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner